छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-04

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. पृच्छा

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही श्री उमेश पटेल, सदस्य एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अन्य सदस्यों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रदेशाध्यक्ष के घर की पुलिस द्वारा रेकी किये जाने का उल्लेख किया गया एवं मामले को लेकर प्रश्नकाल को रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के तत्काल बाद इस पर अपनी बात रखने के लिए विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये गये।)

(निरन्त व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.05 बजे स्थगित की जाकर 11.18 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

2. पृच्छा

श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अन्य सदस्यों द्वारा पुनः प्रश्नकाल रोककर संबंधित विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- प्रश्नकाल पक्ष और विपक्ष दोनों के लिये महत्वपूर्ण होता है। छत्तीसगढ़ में आज तक परम्परा नहीं है कि हम प्रश्नकाल को बाधित करें। मेरा आग्रह

है कि प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद शून्यकाल में पूरा समय रहेगा। आपको पूरा पर्याप्त समय दूंगा, आप सारे विषय उठा सकते हैं।

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या - 01,

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, श्रीमती अम्बिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री इंद्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात करेंगे ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बाहर प्रस्थान किया।)

6. प्रश्नकाल क्रमश:

7. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

8. प्रश्नकाल क्रमश:

03, 04, 05, (कुल 4) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री अटल श्रीवास्तव अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री धरमलाल कौशिक के स्थान पर श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य अधिकृत रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 50 तारांकित एवं 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

9. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्या श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा को उनके जन्मदिन पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) सभा में उल्लेखित केन्द्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित अंश का विलोपन

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- केन्द्र शासन की एजेंसियों एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्य नियमानुसार सभा में चर्चा का विषय नहीं हैं। अत: मैं सभा में केन्द्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित उल्लेखित अंशों को कार्यवाही से विलोपित करते हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सभा में अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा हेतु सभा की कार्यवाही में भाग लें।

(2) प्रश्नों का स्वरूप नियमानुसार एवं संक्षिप्त हो, जिससे कि वे ग्राहय किये जा सकें

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- वर्तमान सत्र में भी कुछ प्रश्नों द्वारा अपेक्षित जानकारी इतनी वृहद है कि उनके विभाग से प्राप्त उत्तर के पृष्ठों की संख्या लगभग 10 हजार

से भी अधिक है। शासन को ऐसे प्रश्नों का उत्तर तैयार करने में अत्यधिक समय व श्रम व्यय होता है। अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है अत्यन्त विस्तारित स्वरूप की, प्रदेशव्यापी या कई जिलों की एवं अनेक वर्षों की अपेक्षित जानकारीयुक्त प्रश्न के स्थान पर कृपया प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में नियमों के अंतर्गत ही प्रश्नों की सूचना दें, ताकि आपके प्रश्न ग्राह्य हो सकें।

11.पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी. चौधरी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-2025 **पटल पर रखा** ।

12. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अनुज शर्मा, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र धरसींवा के ग्राम मढ़ी में गौरी गणेश कंपनी द्वारा मुख्य द्वार का निर्माण आबादी क्षेत्र में किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य **अनुपस्थित** (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)।

13. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267- क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्रीमती अनिला भेंड़िया
3. श्री ब्यास कश्यप
4. श्री पुन्नूलाल मोहले
5. श्री रोहित साहू

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री कुंवर सिंह निषाद
2. श्री धरमलाल कौशिक
3. श्री रिकेश सेन
4. श्री अनुज शर्मा

15. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री किरण देव

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

श्री पुन्नूलाल मोहले

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री रिकेश सेन

(1.19 बजे से 3.00 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री चिन्तामणी महराज, लोक सभा सांसद, उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है ।

17.अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **"रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक विस्तारित किया जाये"।**

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री भैयालाल राजवाडे, सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत करते हुए आग्रह किया कि इसमें चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक विस्तारित किया जाये।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं माननीय सदस्य का संशोधन कि इसमें चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक विस्तारित किया जाये, को जोड़ते हुए **"रींवा-बिलासपुर एक्प्रेस एवं चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक विस्तारित किया जाये।"**

संशोधन को जोड़ते हुए संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

यथा संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " **दुर्ग-नौतनवा गाड़ी क्रमांक-18205 व वापसी गाड़ी क्रमांक-18206 का व्हाया अध्योध्या धाम प्रतिदिन परिचालय किया जाये"।**

श्री रिकेश सेन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(3) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य अनुपस्थित (संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ।)

अपराह्न 3.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा